भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 647
गुरुवार, 6 फ़रवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों का निर्माण

647. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डे का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है तथा उक्त योजना के अंतर्गत जोड़े जाने वाले नए हवाई मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार बढ़ रहा है तथा उक्त उद्देश्य के लिए क्रियान्वित की गई विभिन्न नई नीतियों और नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एयरलाइन सुरक्षा, विशेषकर हवाई जहाजों की आंतरिक सुरक्षा तथा देश में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई नई सुरक्षा प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विमानन क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में कौन-कौन से परिवर्तन किए गए हैं तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) 'उड़ान' एक सतत योजना है जिसमें और अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं। इच्छुक एयरलाइनें, विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर 'उड़ान' योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। 'उड़ान' योजना के तहत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल कोई हवाईअड्डा जिसे 'उड़ान' प्रचालन शुरू करने हेतु स्तरोन्नयन/ विकास की आवश्यकता है, उस हवाईअड्डे का विकास 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुररुद्धार' योजना के तहत किया जाता है।

(ख) ड्रोन प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है:

1. दिनांक 25 अगस्त 2021 को ड्रोन नियमावली, 2021 नियमावली के अनुसार, प्रत्येक ड्रोन टाइप को दिनांक 26 जनवरी, 2022 को जारी यूएएस के लिए प्रमाणन योजना के अनुसार, अकर छूट न दी गई हो, टाइप प्रमाणित किया जाना है।

2. ड्रोन (संशोधन) नियमावली, 2022, दिनांक 11 फरवरी 2022.

3. ड्रोन (संशोधन) नियमावली, 2023, दिनांक 27 सितंबर, 2023.

4. ड्रोन (संशोधन) नियमावली, 2024, दिनांक 21 अगस्त, 2024.

5. संबंधित एजेंसियों/ मंत्रालयों के सहयोग से ड्रोन प्रचालन के लिए लो लेवल हवाई क्षेत्र को रेड ज़ोन, येल्लो ज़ोन और ग्रीन ज़ोन में विभाजित करते हुए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्टिव हवाई क्षेत्र मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।

6. ग्रीन ज़ोन में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

7. येलो ज़ोन में ड्रोन के परिचालन के लिए संबंधित एटीसी की अनुमति अपेक्षित होगी। रेड ज़ोन में ड्रोन के परिचालन के लिए नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित रेड ज़ोन के स्वामी की अनुमति अपेक्षित होगी।
8. प्रत्येक ड्रोन को, चाहे उसका वजन और उपयोग जो भी हो, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म नामक एकल विंडो प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जाना होगा।

9. रिमोट पायलट (ड्रोन का परिचालन करने वाला व्यक्ति) को किसी भी डीजीसीए प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

10. वर्तमान में, मानव रहित विमान प्रणाली का प्रचालन केवल विजुअल लाइट ऑफ साइट (वीएलओएस) स्थितियों तक ही सीमित है और सुरक्षित प्रचालन की जिम्मेदारी प्रशिक्षित और प्रमाणित रिमोट पायलटों को सौंपी गई है।

11. सभी ड्रोन के लिए बीमा अनिवार्य है, जब तक कि छूट न दी गई हो।

12. लो लेवल हवाई क्षेत्र प्रबंधन को विनियमित करने के लिए दिनांक 24 अक्टूबर, 2021 को यूटीएम नीति फ्रेमवर्क प्रकाशित किया गया था।

13. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2022 को जारी मानव रहित विमान प्रणाली (सीएसयूएएस) के लिए प्रमाणन योजना के तहत सभी यूएएस/ड्रोन टाइप प्रमाणित हैं।

14. डीजीसीए द्वारा निगरानी ऑडिट के माध्यम से विनिर्माता (टाइप प्रमाणपत्र धारक) द्वारा इसका निरंतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

15. केंद्रीय सरकार ने ड्रोन और उसके घटकों के लिए दिनांक 30 सितंबर, 2021 को सां.आ. 4044(अ) के माध्यम से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की है। इस योजना का उद्देश्य भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

(ग) एयरलाइन सुरक्षा, विशेष रूप से विमानों की आंतरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं। तथा, हाल ही में कोई नया सुरक्षा उपाय लागू नहीं किया गया है।

(घ) विमानन क्षेत्र के लिए भारत की एफडीआई नीति में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रमुख सुधारों में, घरेलू एयरलाइनों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति शामिल है, जिसमें विदेशी एयरलाइनों को 49% तक निवेश करने की अनुमति दी गई है। इस बदलाव ने घरेलू एयरलाइनों को अधिक पूंजी का उपयोग करने में सक्षम बनाया है, जिससे बेड़े के विस्तार और सेवा में सुधार की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ साझेदारी के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र दोनों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह नीति हवाईअड्डे की अवसंरचना और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान करती है। इसने विदेशी पक्षकारों को हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण में निवेश करने और

ग्राउंड सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे समग्र यात्री अनुभव और दक्षता में सुधार हुआ है। इन नीतिगत समायोजनों ने देश के विमानन अवसंरचनाओं में सुधार करते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरलाइनों के विकास को बढ़ावा दिया है।

****